UPBG010030912026

न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश(एस.सी./एस.टी.एक्ट**) बागपत।**

उपस्थित : श्री विष्णु प्रसाद अग्रवाल, एच0जे0एस0।

जे0ओ0 कोड सं0–यू0पी0–06258

अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र संख्या–1030/2026

पंकज **बनाम** **सरकार**

दिनांक 15.06.2026

यह अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र प्रार्थी/अभियुक्त पंकज पुत्र रतन सिंह निवासी बड़ौली रोड गली नं0–6 कस्बा व थाना बड़ौत जिला बागपत की ओर से प्रार्थना पत्र धारा–482(4)बी0एन0एस0एस0 के अन्तर्गत मु0अ0सं0–618/2025 अन्तर्गत धारा–333,352,115(2)बी0एन0एस0 थाना बड़ौत जिला बागपत में प्रस्तुत किया गया है।

प्रार्थी/अभियुक्त द्वारा अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र के साथ अपना शपथ पत्र प्रस्तुत करते हुये यह कहा गया है कि प्रार्थी/अभियुक्त का यह प्रथम अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र योजित किया है। इसके अलावा अन्य कोई प्रार्थना पत्र किसी भी अन्य न्यायालय में लम्बित नहीं है।

संक्षेप में अभियोजन कथानक इस प्रकार है कि परिवादिनी लक्ष्मी पत्नी सुनील ने एक तहरीर थाने में इस आशय की दी है कि प्रार्थीनी का पुत्र अक्षित दिनक 16.09.2025 को सब्जी मण्डी मे सुबह करीब 10 बजे सब्जी लेने गया था तो विकास पुत्र देवेन्द्र निवासी काशीराम कालोनी कस्बा बडौत ने प्रार्थीनी के पुत्र के साथ जाति सूचक शब्दो चमोटे गिट्टल का प्रयोग करते हुए मारपीट की थी तथा उक्त विकास ने पूर्व में प्रार्थीनी के घर में घुसकर प्रार्थीनी की पुत्री के साथ छेडछाड की थी तथा विरोध करने पर जाति सूचक शब्दों का प्रयोग कर जान से मारने की नियत से हमला किया था जिसमें पुलिस द्वारा विकास को गिरफ्तार का जेल भेज दिया था उसी रंजिश को लेकर प्रार्थीनी के पुत्र से साथ जाति सूचक शब्दो को प्रयोग कर विकास में मारपीट की है प्रार्थीनी ने उक्त विकास के भय से अपनी पुत्री को मेरठ में पढने के लिए भेज दिया है लेकिन जब भी प्रार्थीनी की पुत्री कस्बा बडौत में आती है तो उक्त विकास प्रार्थीनी की पुत्री का पता लगाकर जान से मारने की फिराक में रहता है तथा प्रार्थीनी के पुत्र को भी जान से मारने की फिराक में है व पंकज पुत्र रतन सिंह निवासी बडौली रोड गली नं0–6 तथा लोगो से पूछताछ करता रहता है कि कब आरोहि कस्बा बडौत में आयेगी। व पंकज भी प्रार्थीनी की पुत्री व प्रार्थनी के परिवार का पीछा करता है तथा पंकज द्वारा भी प्रार्थीनी के परिवार के साथ घटना घटित करने के लिए उक्त विकास का पूर्ण सहयोग किया जा रहा है। दिनक 23.09.2025 की शाम करीब 9.30 बजे उक्त विकास गाली गलौच व जाति सूचक शब्दो का प्रयोग प्रार्थीनी के घर में घुस गया तथा प्रार्थीनी के साथ मारपीट की व काफी अभद्र व्यवहार किया उक्त विकास व पंकज से प्रार्थीनी व प्रार्थीनी के बच्चो की सुरक्षा किया जाना न्यायहित में आवश्यक है।

प्रार्थी/अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता ने जमानत प्रार्थना पत्र में यह कथन किया गया है कि प्रार्थी/अभियुक्त निर्दोष है। उसे प्रस्तुत मामले में झूठा फंसाया गया है। उसने कोई अपराध कारित नहीं किया है। उसने वादी मुकदमा के घर में घुसकर कोई गाली गलौच व मारपीट नहीं की और न ही जान से मारने की धमकी दी। घटना दिनांक 23.9.2025 को समय 9:30 बजे की है जबकि प्रथम सूचना रिपोर्ट दिनांक 25.9.2025 को समय 19:28 बजे अत्यन्त देरी से दर्ज करायी गयी है। वादिया ने अपने बयान अ0धारा–180 बी0एन0एस0एस0 में प्रार्थी/अभियुक्त पंकज के द्वारा मारपीट नहीं की गयी है और न ही पंकज उनके घर में घुसा है वह तो घर के बाहर खड़ा था। पीड़ित अक्षित ने अपने बयान अ0धारा–180 बी0एन0एस0एस0 में अभियुक्त पंकज को घर के बाहर खड़ा होना बताया है। विवेचक द्वारा प्रार्थी/अभियुक्त को अ0धारा–35(3) बी0एन0एस0एस0 का नोटिस तामील कराया गया है। उक्त अपराध सात वर्ष की सजा का प्रावधान है। सह अभियुक्त विकास की जमानत पूर्व में स्वीकार की जा चुकी है। घटना का कोई स्वतंत्र व निष्पक्ष साक्षी नहीं है। उसका कोई पूर्व में आपराधिक इतिहास नहीं है। अतःअग्रिम जमानत का निवेदन किया है।

विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी द्वारा अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र का विरोध करते हुये कहा गया है कि अपराध गंभीर प्रकृति का है अतः अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त किये जाने याचना की गयी है।

सुना एवं पत्रावली का अवलोकन किया।

पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि प्रस्तुत मामले में प्रार्थी/अभियुक्त पंकज पर यह आरोप लगाया गया है कि उसने वादिनी मुकदमा के घर में घुसकर वादिनी मुकदमा के साथ गाली गलौच कर मारपीट की है। पत्रावली के परिशीलन से प्रकट होता है कि सह अभियुक्त विकास परिवादिनी की पुत्री व पुत्र को जान से मारने की फिराक में था और प्रार्थी/अभियुक्त परिवदिनी की पुत्री व पुत्र को अन्य लोगों से पूछता रहता था कि कब बड़ौत आयेगी। प्रार्थी/अभियुक्त द्वारा परिवादिनी के साथ घटना घटित करने के लिये सह अभियुक्त विकास का पूर्ण सहयोग कर रहा था। अपराध गंभीर प्रकृति का है। ऐसी स्थिति में अपराध की गंभीरता, अपराध कारित करने में अभियुक्त की संलिप्तता/भूमिका होने तथा मामले के तथ्यों एवं परिस्थितियों के आधार पर प्रार्थी/अभियुक्त का अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने का पर्याप्त आधार नहीं है।

आदेश

प्रार्थी/अभियुक्त पंकज का अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त किया जाता है।

दिनांक 15.06.2026

(विष्णु प्रसाद अग्रवाल)
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/
विशेष न्यायाधीश(एस.सी./एस.टी.एक्ट)
बागपत।